मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

(मंत्रालय)

क्रमांक ई-4/8/82/सी/चार, भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 1996

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :- आहरण अधिकारियों द्वारा आवंटित राशि से अधिक आहरण पर रोक.

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 453/आर/1157/चार/ब-1/82, दिनांक 16/8/82 और क्रमांक ई-4/8/82/सी/चार, दिनांक 20 सितम्बर 1982, 9 नवम्बर 1982, 2 जुलाई 1983, 1 दिसम्बर 1984 और 24 दिसम्बर 1984 को निरस्त करते हुए इस विषय पर समेकित निर्देश जारी किये जा रहे हैं.

2. आहरण अधिकारियों और नियंत्रक अधिकारियों की यह जिम्मदारी है कि वे मध्यप्रदेश कोष संहिता जिल्द-1 के सहायक नियम 284, 290 और 292 और मध्यप्रदेश वित्त संहिता जिल्द-1 के नियम 8 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवंटन से अधिक राशि कोषालय से आहरित नहीं करें.

3. यह व्यवस्था वेतन मद के बिलों पर लागू नहीं है. इसके अलावा कंटिंजेन्सी पेड कर्मचारियों के अप्रैल और मई महिनों के वेतन बिल भी बिना आवंटन उपलब्ध हुए भी निकाले जा सकते हैं. कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी है कि वे अतिरिक्त आवंटन यथासमय प्राप्त करें.

4. शासकीय सेवकों के व्यक्तिगत क्लेम (जैसे यात्रा भत्ता) आवंटन मिलने के पहले नहीं निकाले जा सकते हैं. कार्यालय प्रमुख को चाहिये कि वे बजट नियंत्रण अधिकारी से आवंटन प्राप्त करें जिससे कि कर्मचारियों को असुविधा न हो. बजट नियंत्रण अधिकारियों को चाहिये कि वे पुनर्विनियोजन (re-appropriation) द्वारा आवंटन उपलब्ध करायें जिससे कि कर्मचारियों के व्यक्तिगत क्लेम (विशेष कर चिकित्सा प्रतिपूर्ति क्लेम) लम्बे समय तक लंबित न रहें.

5. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामले में यह व्यवस्था रहेगी कि कार्यालय प्रमुख द्वारा लिखे जाने पर भी अगर दो महीने की अवधि में बजट नियंत्रण अधिकारी से आवंटन नहीं मिलता है तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का आहरण किया जा सकता है. ऐसे बिलों पर आहरण अधिकारी द्वारा यह प्रमाण-पत्र अंकित किया जाय.

''प्रमाणित किया जाता है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय में आवंटन से अधिक की जो स्थिति बनी है उसके लिये नियंत्रण अधिकारी . . . . . .(पदनाम) से . . . . . (तारीख) को अतिरिक्त आवंटन की मांग की गई है.''

6. राज्य के बाहर चिकित्सा के लिए अग्रिम अगर विभागाध्यक्ष द्वारा विधिवत मंजूर हो तो अग्रिम का आहरण अतिरिक्त आवंटन की प्रत्याशा में किया जा सकता है.

7. सभी कोषालय अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि नैमित्तिक व्यय के बिलों के आखिरी पेज पर बने केज (cage) में आवंटन और खर्च का आकार सही तरह से लिखा गया है. अगर कोषालय, अधिकारी के ध्यान में यह बात आती है कि प्रस्तावित खर्च के लिए आवंटित रकम में बचत नहीं है तो वे बिल को नामंजूर करते हुए नियंत्रक, अधिकारी को वापस भेजेंगे.

8. मध्यप्रदेश कोष संहिता जिल्द-1 के मुख्य नियम 27 में कलेक्टर को यह अधिकार है कि आपात स्थिति में वे कोषालय अधिकारी को भुगतान के निर्देश दे सकते हैं. किन परिस्थितियों में यह निर्देश नहीं दिये जा सकते हैं, इसका उल्लेख भी इस नियम में है. कलेक्टर द्वारा इस प्रावधान का उपयोग आपात स्थिति में ही किया जाना चाहिए, जैसे बाढ़, सूखा, अग्नि-दुर्घटना इत्यादि जिसमें ''2245 दैवी आपत्तियों के संबंध में राहत '' हेड के तहत खर्च होता है. इसके अलावा कलेक्टर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम, 1995 के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता के भुगतान के निर्देश इस प्रावधान के तहत दे सकते हैं. इस प्रावधान के तहत कलेक्टर का प्रमाण-पत्र, महालेखाकार को सूचना वगैरह अनिवार्य है. पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये.

9. कोषालय में पेश होने वाले बाकी सभी बिलों पर आहरण अधिकारियों द्वारा यह प्रमाण-पत्र अंकित किया जाना चाहिए.

"प्रमाणित किया जाता है कि जिस शीर्ष से आहरण के लिये यह देयक प्रस्तुत किया गया है उस शीर्ष में राशि उपलब्ध है. "

10. जैसा कि म. प्र. कोष संहिता के सहायक नियम 284 में भी लिखा है, इन निर्देशों का पालन न किए जाने पर आहरण अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी.

हस्ता./-
(ए. एन. अस्थाना)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

पृष्ठांकन क्रमांक: ई-4/8/82/सी/चार, भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 1996

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, भोपाल.
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर.
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
6. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा), भोपाल.
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा), भोपाल.
8. मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल.
9. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट) 1/2, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल.
10. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश.
11. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश.
12. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश.

हस्ता./-
(आर. के. गहलोत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.